

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 372451
ग्रा0वि0-6- बजट/05-01/2018

पटना, दिनांक 31/5/18

प्रेषक:- राधाकिशोर झा,
अपर सचिव

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- निकासी एवं व्ययन पदा0,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष- 2018-19 में मांग संख्या-42 के तहत मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-0101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-मुख्यालय स्थापना, विपत्र कोड 42-2501060010101, राज्य स्कीम के अंतर्गत राज्य मुख्यालय स्तर पर संधारित पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य स्थापना व्यय हेतु बजट उपबंधित राशि रू0 300.00 लाख (तीन करोड़) के विरुद्ध राशि रू0 300.00 लाख (तीन करोड़) का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-371905 दिनांक- 29.05.2018

महाशय,

निदेशानुसार संदर्भित स्वीकृत्यादेश के प्रसंग में वित्तीय वर्ष- 2018-19 में मांग संख्या-42 के तहत मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-0101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-मुख्यालय स्थापना, विपत्र कोड 42-2501060010101, राज्य स्कीम के अंतर्गत संधारित 38 पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य स्थापना व्यय हेतु बजट उपबंधित राशि रू0 300.00 लाख (तीन करोड़) के विरुद्ध राशि रू0 300.00 लाख (तीन करोड़) को कॉलम- 5 में निम्नरूप से आवंटित की जाती है :-

(राशि रू0 में)

क्र0 सं0	विषय शीर्ष	बजट उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि	वर्तमान में आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01 01 वेतन	10000000	10000000	10000000
2	01 03 जीवन यापन भत्ता	1000000	1000000	1000000
3	01 04 मकान किराया भत्ता	1600000	1600000	1600000
4	01 05 परिवहन भत्ता	200000	200000	200000
5	01 06 चिकित्सा भत्ता	100000	100000	100000
6	01 07 अन्य भत्ता	50000	50000	50000

7	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1000000	1000000	1000000
8	11 01 यात्रा व्यय	1000000	1000000	1000000
9	13 01 कार्यालय व्यय	5000000	5000000	5000000
10	1302 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	1000000	1000000	1000000
11	13 03 दूरभाष	200000	200000	200000
12	13 04 विधुत प्रभार	1000000	1000000	1000000
13	13 06 वर्दी / पोशाक	100000	100000	100000
14	13 10 भाडे की गाडी का भुगतान	5000000	5000000	5000000
15	16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	2200000	2200000	2200000
16	20 03 प्रशिक्षण व्यय	50000	50000	50000
17	28 02 संविदा सेवाएँ	500000	500000	500000
कुल:-		30000000 (तीन करोड़)	30000000 (तीन करोड़)	30000000 (तीन करोड़)

2. राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-371905 दिनांक- 29.05.2018 द्वारा वर्ष-2018-19 के लिए स्वीकृत राशि से किया जाता है ।

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 3244 दिनांक 04.05.2018 के द्वारा पत्र सं0- 2561 वि. (2) दिनांक- 17.04.1998 में निहित चौमाही प्रतिशत बंधेज को शिथिल कर दिया गया है, जिसके आलोक में बजट उपबंधित राशि का 100 प्रतिशत राशि विषय शीर्षवार आवंटित किया जा रहा है ।

4. राशि का आवंटन वित्त विभागीय पत्र सं0- 2561 वि. (2) दिनांक- 17.04.1998 एवं 4201 दिनांक- 12.04.12 एवं अन्य सुसंगत निर्देशों के आलोक में किया जा रहा है ।

5. वित्त विभाग में पत्रांक- ब05/ बी0एस0जी011/2005-599/ वि0 दिनांक- 07.07.2010 के आलोक में विपत्रों को कोषागार में प्रेषित करने के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवश्यकतानुसार वेतन, जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ता मद में आवंटित राशि को वेतन एवं उनके भत्तों के लिए अलग-अलग विषय शीर्ष 01 01 एवं 01 03 से 01 06 तक में राशि को कर्णांकित करने के पश्चात विपत्र में आवश्यक उल्लेख करेंगे ।

6. आवंटित राशि का व्यय मांग संख्या-42 के तहत मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-0101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-मुख्यालय स्थापना, विपत्र कोड 42- 2501060010101, राज्य स्कीम के अंतर्गत वर्ष- 2018-19 में विकलनीय है ।

7. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार (सिंचाई भवन), पटना से की जायगी ।

8. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन के क्रम बिहार वित्तीय नियमावली/ बिहार कोषागार संहिता/ बजट मैनुअल/ सचिवालय अनुदेश एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 2561 वि0 (2) दिनांक- 14.04.98 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अक्षरशः एवं दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक राशि की निकासी/ व्यय नहीं किया जायगा एवं आवंटित राशि का अन्यत्र व्यय भी नहीं किया जायगा । इसकी सारी जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होंगी।

10. आवंटित राशि के व्ययोपरान्त व्यय विवरणी, टी0भी0नंबर तिथि तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना ग्रामीण विकास विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय ।

विश्वासभाजन

(राधाकिशोर झा),
अपर सचिव

जापांक 372451

पटना, दिनांक 31/5/18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव

जापांक 372451

पटना, दिनांक 31/5/18

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार (सिंचाई भवन), पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव

जापांक 372451

पटना, दिनांक 31/5/18

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना/आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ उप सचिव, (प्रभारी लेखा शाखा) ग्रामीण विकास विभाग, पटना/ विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10)/ प्रशाखा- 6 / आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर सचिव
31/05